आदेश
कार्रवाई
टिप्पणी
3

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सिमरिया।

विविध वाद संख्या–11/2019–20

प्रथम पक्षः–दीपक कुमार वर्मा, ग्राम–जोगियाडीह, थाना–लावालौंग, जिला–चतरा।

बनाम

द्वितीय पक्षः–अमरदीप प्रसाद, ग्राम–रखेद, थाना–लावालौंग, जिला–चतरा।

2 | 3

..09/2023

आदेश

इस वाद की प्रक्रिया अंचल अधिकारी, लावालौंग के द्वारा भेजे गये अभिलेख संख्या–02/2009–10 के आधार पर प्रारम्भ की गई है। इस वाद में प्रथम पक्ष दीपक कुमार वर्मा, साकिन–जोगियाडीह, थाना–लावालौंग, जिला–चतरा है, जबकि द्वितीय पक्ष श्री अमरदीप प्रसाद, साकिन–रखेद है। दिनांक–16.03.2010 को अंचल अधिकारी, लावालौंग ने आदेश पारित कर यह अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा के न्यायालय में सुनवाई हेतु भेजा। जब सिमरिया अनुमण्डल का सृजन हुआ तब चतरा अनुमण्डल से यह अभिलेख सिमरिया अनुमण्डल कार्यालय में अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजा गया।

cc issued

P-98/23

अभिलेख अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस वाद की प्रक्रिया में प्रथम पक्ष कभी भी उपस्थित नहीं हुए हैं। अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा प्रथम पक्ष को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी सूचना दी गई, बावजुद प्रथम पक्ष न तो उपस्थित हुए और न हीं उनकी ओर से पक्ष रखा गया। इसके बाद इस वाद को एकपक्षीय सूनकर आदेशार्थ रखा गया।

एकपक्षीय सुनवाई की प्रक्रिया में द्वितीय पक्ष ने इस न्यायालय को लिखित कथन एवं बहस के माध्यम से यह अवगत कराया है कि प्रथम पक्ष की मृत्यु हो चुकी है, परन्तु उसके पुत्रगण है, जिन्हें वाद में अभिरूची नहीं हैं। द्वितीय पक्ष के लिखित कथन तथा अचंल अधिकारी, लावालौंग के अभिलेख से प्रश्नगत भूमि की विवरणी निम्नवत् प्रतीत हो रहा है :–

मौजा का नाम	खाता नं0	प्लॉट संख्या	कुल रकबा
जोगियाडीह	01	12, 13	33.80 एकड़
रखेद	36	399	7.56 एकड़
		कुल :–	41.36 एकड़

अंचल अधिकारी के अभिलेख अवलोकन से यह प्रतीत हुआ है कि उनके न्यायालय में प्रथम पक्ष ने इस भूमि के सदंर्भ में यह आरोप लगाया है कि इस भूमि पर अवैध जमाबन्दी फर्जी तरीके से कायम किया गया है, क्योंकि प्रश्नगत भू–खण्ड गैरमजरूआ खाता का है। प्रारम्भ में इस भूमि की जमाबन्दी पंजी–2 में कैसे कायम हुआ, सक्षम प्राधिकार का

Scanned with OKEN Scanner

कोई स्पष्ट आदेश नहीं है। आरोप यह है कि बाद में इसी भूमि का बंटवारा कर लिया गया और उतराधिकारी बंटवारा के आधार पर पुनः पंजी–2 में नाम कायम करा लिया गया, जो पूर्णतः गलत है। सर्वे खतियान के अनुसार किस्म जंगल भी प्रतिवेदित किया गया है।

इस प्रकार अंचल अधिकारी के अभिलेख के आधार पर यह मामला गैरमजरूआ खास किस्म जंगल की भूमि पर अवैध जमाबन्दी से संबंधित है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का यह स्पष्ट निर्देश है कि सरकारी भूमि पर यदि अवैध जमाबन्दी का मामला छान–बीन एवं जांच–पड़ताल के क्रम में प्राप्त होता है, तो उसपर BLR Act की धारा–4h के अन्तर्गत कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अंचल अधिकारी, लावालौंग को यह निर्देश दिया जाता है कि तद्नुसार विभागीय मार्ग–निर्देश के आलोक में अभिलेख खोलकर समूचित कार्रवाई हेतु भेजे, ताकि अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके।

लेखापित एवं संशोधित।

8/9/2023

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

8/9/2023

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

cc Issued
8-98/23.

Digitally signed by SUNNY RAJ
Date: 2024.07.20 13:20:45 +05:30
Location: 192.168.209.12

Scanned with OKEN Scanner